

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/83156/MRB/MORADABAD/1334/CFO

दिनांक : 19-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **KRISHNA INTERNATIONAL SCHOOL** पता **KHASRA NO 2094 1 2095 1 2095 2 AGWANPUR, KANTH ROAD, MORADABAD** तहसील - **MORADABAD** प्लॉट एरिया **6719.50 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1804.31** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	11.47 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **KRISHNA INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **24-05-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PANKAJ CHOUDHARY jitu1987jk@gmail.com 9058303384** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **25-05-2023** से **24-05-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **KRISHNA INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **KRISHNA INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : भवन में समस्त अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था शासनादेश संख्या 18/छ-पु0-8-2022-905-(34)/2016 टी0सी0 दिनांक 07-01-2022 के अनुरूप कार्यशील दशा में रखना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त शासनादेश के अनुसार भवन सैट बैक की सहमति सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SUBHASH KUMAR

EFD4A7C044BB932C8B0DA9633E19F937810D85BD

25-05-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-05-2023
स्थान : MORADABAD

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.